दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
10.4.18	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नही किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें। 10/4/18 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
16.04.18	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा करवा थाना सं0 223 खाता सं0 128 प्लॉट सं0 481 कुल रकवा-045 एक्ड़ जो जमाबंदी संख्या-172 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं0-172 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। 16/04/18 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी [illegible] के पत्रांक 608 दिनांक 18/5/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 22/6/18 को प्रस्तुत करे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
धनबाद।

22/6/18 अभिलेख [illegible] उपस्थापित। [illegible]
[illegible]
[illegible] पुनः नोटिस करें
दिनांक 20/7/18 को पेश करें